न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 120/2024 (उदयपुर डिक्री)

श्री पहाड सिंह पिता तखत सिंह राजपूत, निवासी ढुंढकिया तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नाथु सिंह पिता श्री प्रेम सिंह जी राजपूत
2. श्री दलपत सिंह पिता श्री प्रेम सिंह जी राजपूत
3. श्री गोपाल सिंह पिता श्री अमर सिंह जी राजपूत
4. श्री शेर सिंह पिता श्री अमर सिंह जी राजपूत
5. श्रीमती छगन कुंवर पिता श्री अमर सिंह जी राजपूत
6. श्रीमती प्रेम कुंवर पिता श्री अमर सिंह जी राजपूत
7. श्रीमती हिम्मत कुंवर पिता श्री अमर सिंह जी राजपूत
8. श्रीमती पुनम कुंवर पिता श्री अमर सिंह जी राजपूत
9. श्री किशन कुंवर पत्नी श्री अमर सिंह जी राजपूत

   सर्व निवासी – निवासी ढुंढकिया, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) झाडोल जिला उदयपुर।

.................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. झाड़ोल
दि॰ 04–09–2024 प्र0सं0 01/2023

———/———

उपस्थित :– 1. श्री हर्षद जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं. 01 से 09

———::———

निर्णय   दिनांक 12–06–2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 से 9 के पूर्वाधिकारी अमरसिंह ने एक इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी झाडोल के द्वारा जारी डिक्री दिनांक 31–12–1985 की पालना करने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायायल ने स्वीकार करते हुये अपने आदेश दिनांक 04–09–2024 से मौजा ढुंढकिया तहसील झाडोल की श्री पहाडसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत के नाम दर्ज ... नंबर 258 रकबा 1.0300 हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:52 IST
Reason: SelfAttested

में 1/2 हिस्से का एवं आराजी नंबर 358 रकबा 0.18, 364 रकबा 0.06, 362 रकबा 0.02 हैं सम्पूर्ण भूमि का प्रार्थीगण नाथुसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत 1/3, दलपतसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत 1/3, किशनकुंवर पत्नी अमरसिंह राजपूत, गोपालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, शेरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, छगन कुंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत, पुनम कुंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत, प्रेम कुंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत, हिम्मत कुंवर पुत्री अमरसिंह राजपूत 1/3 के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 28—10—2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी डिक्री दिनांक 21—12—1985 की पालना हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21—09—2022 को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है, जिसकी मयाद 12 वर्ष ही है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र करीब 37 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जो मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04—09—2024 को अपास्त किया जावे।
4. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि वर्ष 1985 मे दो दावें प्रस्तुत हुये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 31—12—1985 मे जारी डिक्री की पालना मे उक्त हकरसी आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।
5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के अनुसार वर्ष 1985 की डिक्री की पालना हेतु हकरसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा 12 वर्ष है, जबकि प्रार्थना पत्र करीब 37 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश से अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:52 IST
Reason: SelfAttested

गया है। वहीं रेस्पोडेंट के कथन अनुसार दो दावे एक ही समय मे पेश हुये एवं दोनो मे एक ही दिनांक को डिक्री जारी हुई। हमारे द्वारा दोनो डिक्रीयों का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 123/85 जो रेस्पोडेंट नाथूसिंह द्वारा अपीलान्ट पहाडसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत कि गई थी, उसकी पालना तो उक्त हकरसी ओदश दिनांक 04–09–2024 द्वारा कर दी गई हैं, जबकि अपीलान्ट पहाडसिंह द्वारा रेस्पोडेंट नाथूसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत वाद संख्या 124/85 की हकरसी की बाबत् कोई आदेश नही दिया गया है। रेस्पोडेंट का कथन है कि प्रतिवादी अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये किन्तु उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विलम्ब का कारण बताया की रकबे में अन्तर होने के कारण हकरसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु यहां मुख्य बिंदु यह हैं कि वर्ष 1985 मे पारित डिक्री की पालना हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2022 मे प्रस्तुत किया गया है, जबकि हकरसी प्रार्थना पत्र की मयाद 12 वर्ष ही निर्धारित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा हकरसी प्रार्थना पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। यदि तथ्यों की बात करें तो रेस्पोडेंट ने यह कहीं नहीं बताया है कि पूर्व में दो दावें कौन से थे तथा जिस दावे कि पालना हो गई हैं वह दावा कौन सा था, जबकि अपीलान्ट ने एक अन्य दावा 124/85 बताते हुये इसकी प्रति प्रस्तुत की है, जिसकी पालना नहीं हुई है। यद्यपि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अपीलाधीन खसरा नंबरों पर रेस्पोडेंट काबिज है, परन्तु दूसरे दावे के खसरों के संबंध मे स्थिति स्पष्ट नहीं है, किन्तु यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत हकरसी का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने मे विधिक त्रुटि की है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनांक 04–09–2024 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:52 IST
Reason: SelfAttested